

// सूचना //

प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिये जाने पर कटौती के संबंध में

काउंसिलिंग के द्वितीय चरण पूर्ण होने तक काउंसिलिंग की समय सारणी में उल्लेखित समयावधि में ही अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश से त्याग पत्र दिया जा सकेगा । त्याग पत्र दिये जाने पर अभ्यर्थी के प्रवेश शुल्क में से विनिर्दिष्ट कटौती किये जाकर शेष राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में लोटाई जायैगी । विनिर्दिष्ट कटौती निम्नानुसार होगी :-

- 1) सामान्य अभ्यर्थी के लिये प्रवेश शुल्क की 10 प्रतिशत राशि (अधिकतम रूपये 10,000/-)
- 2) एन आर आई अभ्यर्थियों के लिये (अधिकतम रूपये 25000/-)

W. Shivan

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश